उ0 प्र0 भारत स्काउट और गाइड

डा0 प्रभात कुमार, आई०ए०एस०
मुख्य आयुक्त, उ०प्र०
कृषि उत्पादन आयुक्त एवं
अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र०

पत्राँक : MG-20/163 /2019-20
दिनाँक : 25/04/2019

सेवा में,

निदेशक (उच्च शिक्षा)
उच्च निदेशालय,
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

विषय :–समस्त महाविद्यालयों में रोवर/रेंजर कार्यक्रम को अनिवार्य रूप से लागू किए जाने के संबंध में ।

महोदय,

भारत स्काउट और गाइड एसोसिएशन सोसाइटीज पंजीककरण अधिनियम 1850 के अन्तर्गत पंजीकृत शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की सहयोगी संस्था है तथा यह गैर–राजनीतिक, वर्णभेद की भावना से रहित, असाम्प्रदायिक संगठन है।

आपको अवगत कराना है कि राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकता और युवा वर्ग की शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्काउटिंग तथा गाइडिंग भारत में ही नहीं, सम्पूर्ण विश्व में एक सशक्त माध्यम माना जाता है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों में अनुशासन, सेवा–भाव, भाई चारा, संगठन एंव नेतृत्व की भावना विकसित होकर उन्हें उत्तम नागरिकता की ओर ले जाती है। आन्दोलन का उद्देश्य नवयुवक/नवयुवतियों के विकास में इस तरह योगदान करना है, जिससे उनकी पूर्ण शारीरिक, बौद्विक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक अन्तः शक्तियों की उपलब्धि हो, ताकि व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नागरिकों के रूप में तथा स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय समुदायों के रूप में उपयोगी सिद्व हो सके।

आपको अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष रेंजरिंग के 100 वर्ष पूर्ण होने पर यह वर्ष शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसका शुभारम्भ उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा से जुलाई 2019 में किया जा रहा है।

राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के निर्देशों के अनुपालन में रेंजर शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर का सम्पन्न होगा जिसमें पूरे देश से रेंजर्स प्रतिभाग करेंगी। उक्त कार्यक्रम में आपका सहयोग एंव सकियता की आंाकाक्षा रहेगी। उपरोक्त के संबंध में प्रादेशिक मुख्यालय के पत्रांक सी0जी0–105ए/ 2218/ 2018–19 दिनांक 28.02.2019 द्वारा पूर्व में महाविद्यालयो में रोवर/रेंजर्स के दल की पात्रता आदि के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी है, जिसकी प्रति सुलभ संदर्भ हेतु पुनःसंलग्न है।

रोवर क्र्यू/रेंजर टीम के माध्यम से जहाँ एक ओर युवा वर्ग के भविष्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा वहीं शासन की विकास योजनाओं के प्रचार एंव प्रसार जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्यो में भी रोवर/रेंजर दलों को लगाया जा सकता है। वर्तमान परिस्थितियों में भी युवा वर्ग को अधिकाधिक संख्या में स्काउटिंग/गाइडिंग आन्दोलन से सम्बद्व करने की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बलवती होती जा रही है। अतः प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एंव उनसे सम्बद्व महाविद्यालयों में रोवर/रेंजर दलों को गठित करने की दिशा में सक्रिय कार्यवाही की सामयिक आवश्यकता है।

शासन द्वारा इस आशय के विभिन्न निर्देश भी समय समय पर निर्गत किए गए हैं इसके अनुरूप रोवरिंग/रेंजरिंग कार्यक्रम को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में प्रभावी रूप से लागू करने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक है:–

(1) समस्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में (जहाँ अभी तक रोवर क्र्यू/रेंजर टीम का गठन नहीं हो पाया है) न्यूनतम एक रोवर क्र्यू/रेंजर टीम का अनिवार्य रूप से गठन कर उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड से पंजीकृत

कराया जाय।(सुविधा हेतु पंजीकरण फार्म की छाया प्रति संलग्न है)। साथ साथ जहाँ वे दल पूर्व से गठित है वहाँ उनकी संख्या में वृद्वि की जाय।

(2) प्रत्येक रोवर क्रयू के लिए एक पुरूष प्राध्यापक एंव रेंजर टीम के लिए एक महिला प्राध्यापक को नामित किया जाये जो कमशः रोवर लीडर एंव रेंजर लीडर से सम्बोधित होंगे। नामित रोवर लीडर/रेंजर लीडर को प्रगतिशील प्रशिक्षण के अंतर्गत उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड द्वारा प्रारम्भ में बेसिक कोर्स का प्रशिक्षण दिया जायेगा।(प्रगतिशील प्रशिक्षण कार्यकम संलग्न है)

अतः अनुरोध है कि कृपया विश्वविद्यालय और सम्बद्व महाविद्यालयो में रोवरिंग/रेंजरिंग के प्रति छात्र/छात्राओं को प्रेरित करने और अधिकाधिक दलों को पंजीकृत कराने की व्यवस्था कराने हेतु विश्वविद्यालय से सम्बद्व महाविद्यालयों में भी इस अभियान को पहुँचाने की आवश्यकता है। कृपया इस आशय के निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें। कार्यकम से जुडी सामग्री संलग्नक के रूप में आपको उपलब्ध करायी जा रही है। इस हेतु समय–समय पर उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड से जिस सहयोग की आवश्यकता होगी वह आपको सुलभ होता रहेगा। किसी प्रकार की जिज्ञासा हेतु 0522–2332928 पर संपर्क किया जा सकता है।

संलग्नकः–उक्तवत्।

भवदीय,

(डा0 प्रभात कुमार)
मुख्य आयुक्त
उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– प्रमुख सचिव (उच्च शिक्षा) उ0प्र0शासन, लखनऊ।
2– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– प्रादेशिक आयुक्त (स्काउट/गाइड/प्रशासन एंव प्रशिक्षण) उ0प्र0 भारत स्काउट एंव गाइड, लखनऊ।
4– प्रादेशिक सचिव, उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड, लखनऊ।

(डा0 प्रभात कुमार)
मुख्य आयुक्त
उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड

पत्रांक एम0जी0–20/63/ /2019–20 दिनांक 09.05.19

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. संयुक्त प्रादेशिक सचिव, उ0प्र0 भारत स्काउट एंव गाइड।
2. प्रादेशिक संगठन/प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट/गाइड) उ0प्र0 भारत स्काउट एंव गाइड।
3. समस्त सहायक प्रादेशिक संगठन कमिश्नर (स्काउट/गाइड),उ0प्र0 भारत स्काउट एंव गाइड।

(आनन्द सिंह रावत)
प्रादेशिक सचिव
उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड

यूनिट लीडर का प्रगतिशील प्रशिक्षण

बेसिक कोर्स

↓

छः माह बाद (तीन माह की वारण्टेड सेवा पंजीकृत दल में)

↓

एडवांस कोर्स

↓

एक वर्ष बाद (स्टडी एसान्मेंट पूर्ण होने पर)

↓

हिमालय वुड बैज

↓

छः माह बाद (पार्चमेन्ट मिलने के पश्चात्)

↓

प्री0 ए0एल0टी0

↓

एक वर्ष बाद
सहायक लीडर ट्रेनर (आनरेबुल चार्ज मिलने के पश्चात् एंव एच0डब्लू कोर्स मे सहयोग के पश्चात्)

↓

दो वर्ष बाद
लीडर ट्रेनर

प्रत्येक चार वर्ष के भीतर रि–ओरिएन्टेशन करना एवं न्यूनतम दो वयस्क शिविर का संचालन करना अनिवार्य है।

स्काउट और गाइड के अन्य कार्यक्रम

- स्वयं करके सीखना
- प्रतिज्ञा तथा नियम पालन
- चरित्र विकास
- स्वास्थ्य विकास
- हस्त कौशल
- अनुशासन एवं देश भक्ति
- सेवा
- सांस्कृतिक चेतना अभिवृद्धि
- वाहय गतिविधियां
- विशेष दक्षता कम्पास,नक्शा,भोजन बनाना,प्राथमिक चिकित्सा,अनुमान,संचार,पायनियरिंग

संगठनात्मक स्वरूप

स्का0/गा0 की एक यूनिट में न्यूनतम 12 और अधिकतम 32 सदस्य पृथक – पृथक होते हैं जो एक यूनिट लीडर जिन्हें स्काउट मास्टर एवं गाइड कैप्टन कहते हैं, के नेतृत्व मे कार्य करते हैं।

प्रत्येक यूनिट लीडर के सहयेाग हेतु चार सहायक यूनिट लीडर पृथक – पृथक हेा सकते हैं।

स्काउट/गाइड विंग में यूनिट लीडर की आयु न्यूनतम 21 वर्ष व सहायक यूनिट लीडर की आयु 18 वर्ष, शैक्षिक योग्यता इण्टर की होती हैं।

स्काउट/गाइड कार्यक्रम

उम्र – न्यूनतम 10 वर्ष, अधिकतम 17 वर्ष

विकास हेतु कार्यक्रम

10 वर्ष की उम्र से – स्काउट/गाइड आकांक्षी

से

↓

17 वर्ष की उम्र तीन माह के प्रशिक्षण के पश्चात् के पश्चात् – प्रवेश

↓

दीक्षा संस्कार

↓

छः माह बाद
प्रथम सोपान (स्का0/गा0)

↓

छः माह बाद
द्वितीय सोपान (स्का0/गा0)

↓

छः माह बाद
तृतीय सोपान (स्का0/गा0)

↓

9 माह बाद
राज्य पुरस्कार (स्का0/गा0)

↓

12 माह बाद
राष्ट्रपति (स्का0/गा0)

इस प्रकार स्काउट/गाइड उक्त प्रशिक्षण के पश्चात् अपना व्यक्तित्व विकास करते हुये समाज के लिये एक अच्छे नागरिक के रूप में उपयोगी सिद्ध हो सके।

समाज सेवा के क्षेत्र मे संस्था के नैतिक कार्यो में इस प्रकार सहयेाग करते हुये समाज के प्रति उत्तरदायी नागरिक बन सकेगें।

यूनिट पंजीकृत होने के लाभ

1. बिना यूनिट पंजीकृत कराये कब/बुलबुल,स्का0/गा0,रोवर/रेजर को कोई वैधानिकता प्राप्त नही हो पायेगी।
2. योजना के कियान्वयन के लिए यूनिट का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
3. यूनिट लीडर का कमबद्ध प्रशिक्षण के लिए यूनिट का पंजीकरण अनिवार्य है।
4. बच्चों के कमबद्ध प्रशिक्षण के लिए यूनिट पंजीकृत होना अनिवार्य है।
5. यूनिट पंजीकरण होने से विधालय/जनपद/प्रदेश/राष्ट्रीय स्तर/ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक अन्तः सम्बन्ध स्पष्ट होता है।
6. कार्य को व्यवहारिक ढंग से सम्पादित होने के लिए यूनिट का पंजीकरण होना अनिवार्य है। यूनिट पजीकृत होने के पश्चात् स्काउट/गाइड रोवर रेजर को निम्नवत अवसर प्रदान हो सकेगे।

रोवर/रेंजर्स के अन्य कार्यकम

- उपराष्ट्रपति पुरस्कार
- साहसिक अभियान
- उद्‌देश्यपूर्ण यात्रा (प्राकृतिक)
- आपदा प्रबन्धन
- खोज एवं बचाव
- यातायात नियंत्रण
- प्राथमिक सहायता
- हस्त कौशल
- सांस्कृतिक चेतना अभिवृद्धि
- राष्ट्रीय भावात्मक एकता से जुड़े कार्यकम
- सेवा शिविरों का आयोजन

संगठनात्मक स्वरूप

रोवर/रेंजर की एक यूनिट में न्यूनतम 6 अधिकतम 24 सदस्य (पृथक – पृथक) होतें है, जो एक यूनिट लीडर जिन्हे रोवर स्काउट लीडर/रेजर लीडर कहते हैं, के नेतृत्व में कार्य करते हैं।

प्रत्येक यूनिट मे यूनिट लीडर के सहयोग हेतु चार सहाययक यूनिट लीडर (पृथक – पृथक) हो सकते हैं।

रोवर/रेंजर विंग में यूनिट लीडर की आयु न्यूनतम 25 वर्ष,सहायक यूनिट लीडर की आयु 21 वर्ष , शैक्षिक योग्यता स्नातक की होती हैं।

रोवर /रेंजर कार्यकम

उम्र – न्यूनतम 15 वर्ष, अधिकतम 25 वर्ष

विकास हेतु कार्यकम

15 वर्ष की उम्र से– रोवर/रेंजर आकांक्षी
से
25 वर्ष की उम्र तीन माह के प्रशिक्षण के पश्चात् के पश्चात्

↓

दीक्षा संस्कार

↓

छः माह बाद

↓

निपुण प्रशिक्षण

↓

नौ माह बाद

↓

राज्य पुरस्कार (रोवर/रेंजर)

↓

एक वर्ष बाद

↓

राष्ट्रपति (रोवर/रेंजर)

25 वर्ष से 35 वर्ष तक – रोवर/रेंजर (सेवा में)

– समाज सेवा के क्षेत्र में संस्था के नैत्यिक कार्यो में इस प्रकार सहयोग करना जिससे इनका स्वयं के व्यक्तित्व का स्थायीकरण हो तथा आर्थिक रूप से सबल हो।

उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड
गोल मार्केट महानगर, लखनऊ

Fax No. 0522–2332928
☎ 0522–2332928
E.Mail :upscoutsguides@yahoo.com

आजीवन सदस्यता हेतु आवेदन पत्र

मै..पिता / पति / अभिभावक..

पता...

....

आजीवन सदस्यता हेतु निर्धारित शुल्क रू0...

का भुगतान ड्राफ्ट सं0........................तिथि..............................बैंक..

द्वारा जमा कर रहा हूँ/ रही हूँ। (शुल्क RTGS के माध्यम से संस्था के खाते में जमा कराई जा सकती है। खाते का विवरण * है)

अनुरोध है कि प्रदेश संस्था हेतु .आजीवन. सदस्यता स्वीकार करने की कृपा करें। मेरा अन्य विवरण निम्नवत है:–

1. शैक्षिक योग्यता ....
2. स्काउटिंग / गाइडिंग योग्यता ....
3. व्यवसाय ....
4. जन्म तिथि ....
5. आवेदक द्वारा स्काउटिंग / गाइडिंग के क्षेत्र में किये गये कार्यो का संक्षिप्त विवरण :–

....

....

6. पत्राचार का पता ....
7. मो0 नं0 / लैण्डलाइन / व्हाट्सअप ....
8. ई – मेल ....
9. आधार नं0 ....

दिनांक **आवेदक के हस्ताक्षर**

हम संस्तुति करते हैं कि उपरोक्त आवेदक को प्रदेशं संस्था में आजीवन सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाय।

1. हस्ताक्षर तिथि सहित ....
2. सदस्य का नाम ....
3. सदस्यता की कोटि ....

1. हस्ताक्षर तिथि सहित ....
2. सदस्य का नाम ....
3. सदस्यता की कोटि ....

नोट:– 1– उपरोक्त आवेदन पत्र, निम्नाकिंत में किसी दो के द्वारा संस्तुत किया जायेगा–
1. प्रादेशिक परिषद के पदाधिकारी / सदस्य।
2. मण्डलीय समिति के पदाधिकारी / सदस्य
3. जिला संस्था के पदाधिकारी / सदस्य।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।

2– आजीवन सदस्यता शुल्क रु0 5000 / –

(*) खाता संचालक	प्रादेशिक सचिव, उ0प्र0 भारत स्काउट एंव गाइड, लखनऊ
खाता संख्या	10122401342
बैक का नाम	भारतीय स्टेट बैंक, निषातगंज, लखनऊ
आई0एफ0सी0 कोड	**SBIN0003223**

उत्तर प्रदेश भारत स्काउट और गाइड

प्रादेशिक प्रधान केन्द्र, गोल मार्केट, महानगर, लखनऊ

प्रादेशिक प्रधान कार्यालय द्वारा भरा जायेगा
पंजीकृत सख्या ....
यूनिट/ग्रुप का नाम
....
तिथि ....

कब/बुलबुल (पैक/फ्लाक), स्काउट/गाइड (दल/कम्पनी), रोवर/रेंजर (क्र्यू/टीम) के पंजीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र

जिला .... मण्डल..

तिथि जब दल पहली बार प्रारम्भ किया गया ....

यूनिट/ग्रुप का पूरा नाम ....

यूनिट/ग्रुप का पता ....

यूनिट/ग्रुप स्वतंत्र है अथवा किसी स्कूल या संस्था से नियंत्रित है ....

यूनिट/ ग्रुप के संचालक का नाम ....योग्यता ....मो0..........................

संख्या

कब		स्काउट		रोवर		स्काउटर	
बुलबुल		गाइड		रेन्जर		गाइडर	

योग		

ह0 संस्थां के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या अथवा ग्रुप कमेटी के प्रधान

ह0 यूनिट/ग्रुप का अधिकारी

हस्ताक्षर

जिला सचिव/जिला कमिश्नर (स्काउट/गाइड), संबधित जनपद

चेक किया एवं सही पाया

सहा0 प्रा0 संगठन कमिश्नर (स्काउट/गाइड)

सम्बंधित मण्डल

स्वीकार किया

प्रादेशिक सचिव

प्रादे0 संग0 कमि0 (स्काउट/गाइड)

(क) पंजीकरण शुल्क

(1) कब/बुलबुल (24 सदस्यीय)

कम सं0	पंजीकरण शुल्क (प्रथम बार)	कुल योग (रूपयो में)	प्रदेश अंश (रूपयो में)	जिला अंश (रूपयो में)
1	यूनिट पंजीकरण शुल्क	35.00	15.00	20.00
2	कब/बुलबुल पंजीकरण शुल्क (कोटामनी रू0 10/– प्रति सदस्य की दर से)	240.00	(24X9)216.00	24X1 =24.00
3	यूनिट लीडर पंजीकरण शुल्क	105.00	100.00	05.00
	योग	380.00	331.00	49.00

(ख) नवीनीकरण शुल्क

कम सं0	नवीनीकरण शुल्क (प्रत्येक वर्ष)	कुल योग (रूपयों में)	प्रदेश अंश (रूपयो में)	जिला अंश (रूपयो में)
1	यूनिट नवीनीकरण शुल्क	20.00	NIL	20.00
2	कब/बुलबुल नवीनीकरण शुल्क (कोटामनी रू0 10/- प्रति सदस्य की दर से)	240.00	(24X9) 216.00	24X1 =24.00
3	यूनिट लीडर नवीनीकरण शुल्क	105.00	100.00	05.00
	योग	365.00	316.00	49.00

(2) स्काउट/गाइड (32 सदस्यीय) (क) पंजीकरण शुल्क

कम सं0	(क) पंजीकरण शुल्क	कुल योग (रूपयों में)	प्रदेश अंश (रूपयो में)	जिला अंश (रूपयो में)
1	यूनिट पंजीकरण शुल्क	50.00	25.00	25.00
2	स्काउट/गाइड पंजीकरण शुल्क (कोटामनी रू0 20/- प्रति सदस्य की दर से)	640.00	576.00 रू018/-प्रति दर से	64.00 (रू0 2/-प्रति की दर से)
3	यूनिट लीडर पंजीकरण शुल्क	130.00	100.00	30.00
	योग	820.00	701.00	119.00

(ख)नवीनीकरण शुल्क (प्रत्येक वर्ष)

कम सं0	(ख)नवीनीकरण शुल्क (प्रत्येक वर्ष)	कुल योग (रूपयों में)	प्रदेश अंश (रूपयो में)	जिला अंश (रूपयो में)
1	यूनिट नवीनीकरण शुल्क	NIL	NIL	NIL
2	स्काउट/गाइड नवीनीकरण शुल्क (कोटामनी रू0 20/- प्रति सदस्य की दर से)	640.00	576.00 रू018/-प्रति की दरसे	64.00
3	यूनिट लीडर नवीनीकरण शुल्क	130.00	100.00	30.00
	योग	770.00	676.00	94.00

(3) रोवर/रेंजर (24 सदस्यीय) (क) पंजीकरण शुल्क

कम सं0	(क) पंजीकरण शुल्क	कुल योग (रूपयों में)	प्रदेश अंश (रूपयो में)	जिला अंश (रूपयो में)
1	यूनिट पंजीकरण शुल्क	50.00	25.00	25.00
2	रोवर/रेंजर पंजीकरण शुल्क (कोटामनी रू0 25/- प्रति सदस्य की दर से)	600.00	504.00 रू0 21/-प्रति की दर से	96.00 (रू0 4/-प्रति की दर से)
3	यूनिट लीडर पंजीकरण शुल्क	130.00	100.00	30.00
	योग	780.00	629.00	151.00

(ख)नवीनीकरण शुल्क (प्रत्येक वर्ष)

कम सं0	(ख)नवीनीकरण शुल्क (प्रत्येक वर्ष)	कुल योग (रूपयों में)	प्रदेश अंश (रूपयो में)	जिला अंश (रूपयो में)
1	यूनिट नवीनीकरण शुल्क	NIL	NIL	NIL
2	रोवर/रेंजर नवीनीकरण शुल्क (कोटामनी रू0 25/- प्रति सदस्य की दर से)	600.00	504.00 रू0 21/-प्रति की दर से	96.00 (रू0 4/-प्रति की दर से
3	यूनिट लीडर नवीनीकरण शुल्क	130.00	100.00	30.00
	योग	730.00	604.00	126.00

नोट– स्काउट/गाइड के यदि 16 सदस्यीय दल बनाएं जायेंगे तो केवल कोटामनी का शुल्क कम होगा।